

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 329 सन 2019

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. पालाराम पुनीया पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मनोज पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. शर्मिला कुमारी पत्नि पालाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. विमला पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेसेकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खसरा नं0 104/1 की 0.494 , 208/2 की 1.328 , 216/3 की 1.961 , 274/1 की 5.187 , 300/1 की 2.580 , 145/1 की 3.655 , 145/4 की 0.379, कुल 15.584 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया

जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

क्रे ६६

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरसुख पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 104/1 की 0.494, 208/2 की 1.328, 216/3 की 1.961, 274/1 की 5.187, 300/1 की 2.580, 145/1 की 3.655, 145/4 की 0.379, कुल 15.584 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 104/1 की 0.494, 208/2 की 1.328, 216/3 की 1.961, 274/1 की 5.187, 300/1 की 2.580, 145/1 की 3.655, 145/4 की 0.379, कुल 15.584 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।


जमाबन्दी भू0प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 145 की 43.09 बीघा, 274 की 61.07 बीघा, 300 की 30.12 बीघा भूमि हरसुख पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के

नाम से दर्ज है वादी के दादा हरसुख पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से बाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 5 बहिब के हकदार है प्रतिवादी संख्या 3, 4 अपने पति के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार करने एवं ऐतराज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने पर बाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 274/1 की 5.187 हैक्, खसरा न0 300/1 की 2.580 हैक्, खसरा न0 145/1 की 3.665 हैक्, 145/4 की 0.379 हैक् कुल 11.801 हैक् भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 108/109 में दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


अधीक्षक अधिकारी (राजस्व)
नोहर (इन्डुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम


1. सुरजाराम पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. पालाराम पुनीया पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मनोज पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. शर्मिला कुमारी पत्नि पालाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. विमला पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जसिधे तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 329 सन 2019 निर्णय दिनांक- 27/12/2019

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 274/1 की 5.187हैक , खसरा न0 300/1 की 2.580हैक , खसरा न0 145/1 की 3.665हैक , 145/4 की 0.379हैक कुल 11.801हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 108/109 में दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)